न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 441 सन 2018
अनवान :–

1. अमरसिह पुत्र मनीराम जाति कलाल निवासी जसाना तहसील नोहर।

बनाम वादी

1. मनीराम पुत्र रामलाल जाति कलाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. धर्मपाल 3 विनोद पि0 मनीराम जाति कलाल निवासी जसाना तहसील नोहर
4. तारा पुत्री मनीराम जाति कलाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. हसंराज पुत्र मदनलाल जाति कलाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
6 फुलवन्ती पत्नि मदनलाल जाति कलाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. शकुन्तला पुत्री मदनलाल जाति कलाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. सरबती 9. केशर 10. गुडडी पुत्रीया रामलाल जाति कलाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 18.10.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 573/65 के प0न0 304/409(187) किला न0 23 ता 25/0.759हैक , प0न0 305/409(188) किला न0 20 ता 23/1.0120हैक , प0न0 305/410(207) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 13 ,18 ता 21/3.2890हैक , प0न0 304/410(208) के किला न0 2 ता 9 ,12 ता 19 ,22 ता 25 कुल 5.0600हैक कुल 10.1200हैक भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 , 5 ता 7 बहिब 4/5 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 69/57 के प0न0 315/391(48)–के किला न0 8 ,11 ता 13/0.9741हैक व प0न0 0 मु0न0 75/38 के किला न0 0/1 की 0.0380हैक गै0मु0 रास्ता , कुल 1.0121हैक भूमि स्थित है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम खातेदार काश्तकार है।उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामलाल पुत्र गणपतराम के नाम से दर्ज थी जिसके फोत होने पर उनके दो पुत्रगणों मनीराम व मदनलाल पर औद हुई है जिसमें से मदनलाल फोत हो चुका है जिसके वारिसान में से एक पुत्र छोलाराम का भी देहान्त हो चुका है जो लावल्द फोत हुआ है एवं रोही मौजा चक 6 बारानी की भूमि खाता तकसीम के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई है वाद में प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 व 5 ता 7 की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहन है प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 की शादी हो चुकी है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,5 ता 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्व हो चुका है प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी का वादी की बहन है जिसने भी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्रों वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,5 ता 7 के पक्ष मं किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,5 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 8 ता 10 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,5 ता 7 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,5 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। उभयपक्षों को सुना गया

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी वादी का दादा के देहान्त होने पर उसके जायज व कानुनी वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया , प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल , प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 हुए मदनलाल का देहान्त हो गया जिसके जायज व कानुनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 व घोलाराम हुआ घोलाराम लावल्द फोत हो चुका है मनीराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है इसप्रकार वादी के दादा के देहान्त होने पर उसके पुत्र मदनलाल के देहान्त होने पर वाद भूमि के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 हुए जो वाद भूमि के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,8 ता 10 जो वादी की बहन भूआ पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,8 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 , 5 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि इनके हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है।

इसप्रका वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,8 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 573/65 की 10.1200 है में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बहिब 1/5 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 69/57 की कुल 1.0121हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ता 10 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– पांच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/10/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

SDO

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official